संख्या:124/2022/324/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 31 मार्च,2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत पॉलीटेक्निक के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद- बदायूँ में शासनादेश संख्या-49/2020/522/35-4-2020 दिनांक 31 मार्च,2020 द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक, खेड़ा, बिल्सी, बदायूँ के भवन निर्माण कार्य की रू. 2065.70 लाख की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-157/2021/1455/35-4-2021 दिनांक 27 सितम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 832.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल मिलाकर रू. 1032.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र सं0-16-3099/55/2019-3, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 द्वारा उक्त राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य में मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया। एतद्द्वारा उक्त राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू. 2065.70 लाख के सापेक्ष कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 2097.45 लाख पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
(2) प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-49/2020/522/35-4-2020 दिनांक 31 मार्च,2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 200.00 लाख को प्रथम किश्त तथा शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर,2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 832.85 लाख को द्वितीय किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
(3) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
(4) परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी, कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(7) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीएसटी सम्मिलित न हो।
(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित धनराशि रूपए 10.00 लाख प्रभाग द्वारा अनुमन्य की गयी है। विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वास्तविकता के आधार पर देय होगा।
(9) आगणन प्रतिवेदन के अनुसार 22462.17 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति एवं निर्माण स्थल के कन्टूर प्लान के साथ-2 थ्री □इमेन्सनल मेजरमेंट सहित ड्रोन के आधार पर मिट्टी भराई हेतु धनराशि रू0 54.85 लाख अनुमन्य किया गया है।
(10) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(16) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 22 मार्च, 2021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-3547/दस/2021-2022 दिनांक 31 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:124/2022/324/2022/(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बरेली।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0।
9- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बदायूँ।
14- प्र0 अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन, बदायूँ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।